राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 09/2022 अपील

क्षैत्रीय वन अधिकारी वन विभाग, बनाम माण्डलगढ जिला भीलवाडा

1. जमना लाल पुत्र शांति लाल भील निवासी कुण्डालिया तहसील माण्डलगढ़
2. रणजीत पुत्र शान्ति लाल भील निवासी कुण्डालिया तहसील माण्डलगढ़
3. मदन पुत्र हजारी भील आयु वयस्क निवासी कुण्डालिया तहसील माण्डलगढ़
4. शंकर लाल पुत्र श्री हजारी भील निवासी कुण्डालिया तहसील माण्डलगढ़
5. ठम्मा बेवा हजारी भील निवासी– कुण्डालिया तहसील गाण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, माण्डलगढ़ प्रकरण संख्या 04/2020

निर्णय दिनांक– 15/04/2021

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. श्री दिनेशचन्द्र तिवाड़ी अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री रमेशचन्द्र सारस्वत अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 से 05 की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.02.2023

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 04/2020 निर्णय दिनांक 15.04.2021 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि धारा–183(बी) राज0 काश्तकारी अधिनियम जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर सामान्य वर्ग के व्यक्ति द्वारा कब्जा करने के लिए बना है साथ ही अपीलांट्स जो कि मामले मे राज्य सरकार है, जिसके विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय को सुनवायी का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार नहीं होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में भारी भूल फरमायी है। इस कारण से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व होने योग्य है। विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स या उनके पूर्वज हजारी का कभी कोई कब्जा व हक अधिकार नही रहा है। उक्त भूमि वनखण्ड होलीडूमा मे स्थित है, उक्त भूमि पर वन विभाग का कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि वनखण्ड होलीडूमा का हिस्सा होकर विज्ञप्ति संख्या एफ 2 (27) राज 8/78 दिनांक 07/02/1979 वन भूमि घोषित है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्टस द्वारा कभी भी काश्त नहीं की गयी है, भूमि पर हमेशा से वन विभाग का कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि में सघन वनक्षेत्र होकर वृक्षो से आच्छादित है। उक्त भूमि डीम्ड फोरेस्ट में आती है। दिनांक 17/06/2020 को हुये संयुक्त सर्वे में भी उक्त क्षेत्र मे वन विभाग का कब्जा होना पाया

अति. जिला कलक्टर

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि पर वन विभाग अपीलार्थी का वर्ष 1979 से निरन्तर रूप से कब्जा एवं उपयोग उपयोग चला आ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकरण संख्या 171/96 दिनांक 12/12/96 मे दिये गये निर्णय अनुसार वनभूमि का बिना केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति गैर वानिकी कार्य हेतु आवंटित नही की जा सकती उक्त भूमि पर वर्षो से वन विभाग का स्वामित्व है व उक्त भूमि वन भूमि है व वन संरक्षण अधिनियम 1980– की धारा 2, के तहत राजस्व रिकार्ड / सरकारी रिकार्ड में दर्ज वनभूगि को बिना केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति आंवटित नहीं की जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय, जयपुर के प्रकरण संख्या डी.बी.एस ए (डब्लू) न 1812/2011 दिनांक 14/09/2011 के निर्णय अनुसार वनभूमि को केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारी वनखण्ड से भूमि बाहर करने के लिए अधिकृत नहीं है। राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 19/10/2012 में यह स्पष्ट किया है कि लेण्ड रिकार्ड मे वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किये बगैर किसी भी वनभूमि को गैर वन भूमि मे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा 41 वर्ष बाद उक्त वाद दायर करवाया है, अपीलार्थीगण की स्वतः ही खातेदारी हक अधिकार प्राप्त हो चुके है, जिससे वादपत्र मियाद बाहर होकर खारीज होने योग्य है। निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 15/04/2021 को निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम गेणोली तहसील माण्डलगढ स्थित आराजी संख्या 1190/952 रकबा 08 बीघा भूमि विपक्षी के नाम खातेदारी हक में रिकार्ड दर्ज हैं। विपक्षी अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। उक्त भूमि पर विपक्षी का कब्जा चला आ रहा हैं। उक्त भूमि वन विभाग के खाते व नक्शे में अंकित नही हैं। प्रार्थीगण ने अपील में अंकन किया कि विपक्षी को उक्त भूमि गलत तौर आंवटित की गयी हैं, तो प्रार्थीगण को उक्त आवंटन निरस्त कराने हेतु भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कराना चाहिये था, न कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के अंतर्गत। प्रार्थीगण केवल मौके पर बडे बडे वृक्षों के आधार पर वन विभाग की भूमि होना बताते है, जबकि केवल वृक्षों के आधार पर वन विभाग की भूमि नही बता सकते हैं। पत्थरगढी के समय वन अधिकारी मौजूद थे, तब भी कोई उजर नहीं किया गया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर शीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
शीलवाडा

विपक्षीगण को दिनांक 12.05.1974 को कब्जा दिलाया जाकर सुपुर्दगीनामा प्रदान किया हैं। इस प्रकार विपक्षीगण के नाम सही तौर आवंटन किया गया हैं। प्रार्थीगण ने बताया कि उक्त भूमि आवंटन योग्य नहीं थी। यदि ऐसा हैं तो चारागाह/तलाई/नदी/नाले/रास्ते की भूमि हैं तो नियमों के आधार पर वन विभाग ने कोई कार्यवाही नही की हैं। उक्त भूमि पर विपक्षीगणों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं इसलिए आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। अपीलाधीन निर्णय राज्य सरकार के विरुद्ध पारित हुआ, जिसकी जानकारी तत्समय ही प्रार्थी को प्राप्त थी और राजकीय अधिवक्ता या उच्च अधिकारियों से सम्पर्क करने बाबत दिनांक 21–02–2022 तक का समय व्यतीत करना किसी प्रकार से क्षम्य नहीं माना जा सकता। प्रार्थी की घोर लापरवाही व अकृमण्यता जाहिर होकर न्यायालय एवं न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में गंभीरता नहीं दर्शाना प्रकट होता है, जिसका कोई युक्तियुक्त कारण व आधार प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में अंकित नहीं किया गया है, इस कारण व्यतीत की गई 09 माह की देरी से पेश की गई अपील किसी भी प्रकार से समयावधि में नहीं मानी जा सकती हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं अन्य दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 04/2020 में धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सुनवायी की जाकर निर्णय पारित किया हैं, जबकि धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर सामान्य वर्ग के व्यक्ति द्वारा कब्जा करने पर कार्यवाही हेतु बना है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता हैं।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका पर्चा ग्राम गेणोली दिनांक 17.06.2020 में अंकित किया हुआ हैं कि प्रश्नगत भूमि वनखण्ड होलीडूमा का हिस्सा होकर विज्ञप्ति संख्या एफ 2 (27) राज–8/78 दिनांक 07/02/1979 से जारी होकर वन विभाग काबिज हैं। मौका पर्चा पर स्वयं भू अभिलेख निरीक्षक माण्डलगढ के हस्ताक्षर हैं, जिससे जाहिर होता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय स्वंय को उक्त प्रश्नगत भूमि पर कब्जा वन विभाग का होने की जानकारी होते हुये भी जो प्रश्नगत निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता हैं।

पत्रावली से परीक्षण से जाहिर होता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर

जमनालाल व अन्य ने उक्त प्रश्नगत आराजियात पर स्वयं का कब्जा होना बताया, जबकि मौके पर बडे बडे वृक्ष होना एवं वन विभाग का कब्जा होना पर्चा मौका से जाहिर होता है। इस प्रकार मौके पर जमनालाल व अन्य का कब्जा होना सिद्ध नही ठहरता हैं। जिससे प्रार्थीगण जमनालाल व अन्य द्वारा आवंटन शर्तों की उल्लघंना किया जाना भी प्रतीत होता हैं।

पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता हैं कि पत्रावली पर उपलब्ध भू प्रबन्ध विभाग के खसरा मिलान अनुसार आराजी संख्या 952 की किस्म पहाड़ दर्शाया हुआ हैं। विपक्षीगण जमनालाल व अन्य ने अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रश्नगत आराजियात का उन्हें विधिवत् तौर आवंटन किया हुआ हैं। जबकि आवंटन नियमों के अनुसार प्रतिबन्धित भूमि का अलोटमेण्ट नही किया जा सकता हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अलोटमेण्ट के आधार पर प्रार्थीगण जमनालाल व अन्य का प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 04/2020 स्वीकार कर निर्णय पारित किया हैं, जो न्यायोचित नही ठहरता हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 04/2020 में दिनांक 15.04.2021 को पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण प्रतीत होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य ठहरता हैं। जिससे अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 04/2020 निर्णय दिनांक 15.04.2021 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा